प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक
रामदवर चिल्ड्रेन एकेडमी बहरीपुर राजेपुर सिरकोनी
जौनपुर।

पत्रांकःमान्यता/ 10906 /2015–16 दिनांक 26-12-2015

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोद्य/महोद्या

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/ संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग–6 आदेश संख्या 419/76–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08मई, 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 6.11.2015 के अनुक्रम में तारीख..... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं रामदवर चिल्डेन एकेडमी बहरीपुर राजेपुर सिरकोनी जौनपुर को 26.12.2015 से 25.12.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 05 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2)के उपाबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थित, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2)उपाबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के विद्यालय एक पृथक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संगहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (II) भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
   (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उर्त्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्सता ग्रस्त / विशेष अवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्युनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यहां और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
   (VIII)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया–कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–
   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
   कुल निर्मित क्षेत्र।
   कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल।
   कक्षाओं की संख्या।
   प्राध्यापक–सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष।

बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय ।
पेयजल सुविधा।
मीड–डे–मील पकाने के लिए रसोई।
बाधा रहित पहुँच।
अध्यापन पठन सामाग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से न तो कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षांए और ना ही अन्य शाखाएं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रायोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी यष्टि, व्यष्टियेा के समूह या संगम किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकांउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **X** है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूटरचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने नीजि स्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय

(परमहंस सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ0सं0:मान्यता/ /2015–16 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्ड /नगरक्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यायलय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने के प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर लें, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील है तथा शासनादेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

(परमहंस सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

Office of the District Basic Education Officer

JAUNPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **RAM DAWAR CHILDRENS ACADEMY,BAHARIPUR RAJEPUR JAUNPUR** is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to RAM DAWAR CHILDRENS ACADEMY is **JAU09644249085**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:10-12-2025To:10-12-2026(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	JAU09644249085

DATE:- 10-12-2025

PLACE:- JAUNPUR

District Basic Education Officer

Signature valid

Digitally signed by [illegible]
Date:2025.12.10 12:25:44
Reason: For Digital Signature
Location: JAUNPUR

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025—26 दिनांक 10/10/ 2025

विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या—419/79—6—2013—18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या—418/79—6—2013—एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर—13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है—

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या—89/अरसठ—3— 2018—2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर—13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025—26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2— विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन।
3— महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
5— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।